I/निगरानी/छतरपुर/भू०रा०/2017/2119

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–छतरपुर

1– मनीफर उर्फ लल्लू रजक पुत्र रगबरिया रजक

2– चन्ना रजक पुत्र रगबरिया रजक

निवासीगण– गोमाकलां, तहसील राजनगर, जिला – छतरपुर (म.प्र.)

–– आवेदकगण

श्री चौबे चतुर्वेदी अधि. द्वारा आज दि. 10.7.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 10.7.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

तुलसीदास पुत्र बेनी प्रसाद पटेल,

निवासी– गोमाकलां, तहसील राजनगर,

जिला – छतरपुर (म.प्र.)

–– अनावेदक

Chaturvedi 10/7/17

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनगर, जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 301/बी–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 22.05.2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनगर, जिला छतरपुर का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये जाने से पूर्व आवेदकगण को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर प्रदान किये बिना, जो आदेश पारित किया गया है, वह नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

3– यहकि, अनावेदक तुलसीदास पटेल द्वारा एक आवेदन पत्र तहसीलदार राजनगर के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम गोमाकलां में स्थित भूमि खसरा नम्बर 510 का खाता राजस्व अभिलेख में शासन दर्ज है, जिस

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा.2017/2119 मनीफर विरूद्ध तुलसीराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 301/बी-121/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 22-05-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 10-07-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

(आर.के. जैन) 01/2/19
सदस्य